2241
14-12-17

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग फैजाबाद ।

पत्रांक 1964 / 14–10 / 2017 दिनांकः दिसम्बर 13 / 2017

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, रा0 मा0 लो0 नि0 वि,
सुलतानपुर ।

विषयः– जनपद–फैजाबाद में फैजाबाद–इलाहाबाद रा0 मा0 संख्या–330 (ओल्ड–96) के किमी. 12.600 से किमी0 12.950 तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 0.840 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक 201 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ– भारत सरकार, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य),लखनऊ का पत्रांक– 8बी / यू0पी0 / 06 / 18 / 2017 / एफ0सी0 / 634 दिनांक 24–11–2017 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,उ0 प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1462 / 11–सी–FP / UP / Road / 19199 / 2016 दिनांक 29–11–2017

महोदय,

भारत सरकार, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य),लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र संख्या–8बी / यू0 पी0 / 06 / 18 / 2017 / एफ0 सी0 / 634 दिनांक 24–11–2017 एंव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक–1462 / 11–सी–FP / UP / Road / 19199 / 2016 दिनांक 29–11–2017 का अवलोकन करें पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की अनुपालन आख्या इस कार्यालय एंव वांछित धनराशि उ0 प्र0 कैम्पा को ई–पेमेंन्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1–वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 1.68 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु निर्धारित आंगणन के अनुसार धनराशि रू0, 7,45,315.00 (रू0 सात लाख चैंतालिस हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा ,नई दिल्ली, के निर्धारित सेवा शीर्षक में जमा करें। अनुपालन आख्या एंव ई–पेमेन्ट भुगतान रसीद की प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध करायें।

2–(क) माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या– 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–2–2009 के तहत् दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 6,74,520.00 (रू0 छै लाख चौहत्तर हजार पॉच सौ बीस मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में आन लाइन ई–पेमेंन्ट के माध्यम से जमा करें। अनुपालन आख्या एंव ई–पेमेन्ट भुगतान रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(ख) आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) इस कार्यालय को भेजें तभी भारत सरकार को विधिवत स्वीकृति जारी किए जाने हेतु इस कार्यालय से प्रेषित किया जायेगा।

कृ0 प0 उ0 पेज–2

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की बचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि यदि एन. पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एंव देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (फारवर्ड) एंव पीछे (बैकवर्ड) उनकी दिशा (बियरिंग) भी लिखनी होगी।

4– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5– प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून एंव दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

6– प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।

भवदीय

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, फैजाबाद।

A.E / D.A.O. 14/12/17
EE